**कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सुलतानपुर।**
**पत्रांक** 1685/14-10 **दिनांक, सुलतानपुर** 29-10-**2020**

सेवा में,

वन संरक्षक,
सरयू वृत्त, उ0प्र0,
अयोध्या।

विषयः– **जनपद सुलतानपुर में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड– कूरेभार के वल्लीपुर जोन–2 ग्राम–रतनपुर, तहसील–सदर में पेयजल पाईप लाइन बिछाने हेतु 0.1095 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.01095 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.01245 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 0.12195 हे0 वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक– 578/11सी– FP/ UP/ Water/ 39692/2019, लखनऊ दिनांक– 14.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि उक्त प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों/कमियों का निम्न प्रकार निराकरण करके त्रुटिरहित संशोधित प्रस्ताव चार प्रतियों में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

| क्र0सं0 | आपत्तियों/कमियों का विवरण | आपत्तियों/कमियों का निराकरण |
|---|---|---|
| 1 | प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है अतः प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का मूल्य 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता जो प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो संलग्न नहीं हैं। अतः संलग्न करें। | प्रस्तावक विभाग उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं कि उ0प्र0/भारत सरकार द्वारा जो भी प्रीमियम एवं लीज रेंज की धनराशि निर्धारित की जायेगी, उसे जमा करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हैं।" (प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–60) पर संलग्न है। |
| 2 | प्रस्ताव में प्रभावित 0.1095 हे0 आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति हेतु समतुल्य गैर वनभूमि वन विभाग को उपलब्ध कराने की वचनबद्धता/विवरण खतौनी आदि संलग्न नहीं हैं। | प्रस्ताव में 0.1095 हे0 आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति हेतु समतुल्य गैर वनभूमि, ग्राम–निजामपट्टी परगना– बरौंसा, तहसील– सदर, जिला– सुलतानपुर में वन विभाग को उपलब्ध करायी गयी है, जिसकी खतौनी संलग्न हैं। (प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–61–68) पर संलग्न है। |
| 3 | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दी जाने वाली गैर वनभूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक वी0आई0पी0– 23/14–2–2019–190 जी/ 2018 दिनांक 28.06.2019 के उपजिलाधिकारी/ वन बंदोबस्त अधिकारी एवं प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हैं। | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दी जाने वाली समतुल्य गैर वनभूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक वी0आई0पी0– 23/14–2–2019–190 जी/ 2018 दिनांक 28.06.2019 के क्रम में उपजिलाधिकारी एवं प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र संलग्न हैं। (प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–69) पर संलग्न है। |
| 4. | प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक– 343/11–सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में वन संरक्षक/ प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेंसी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया हैं। | मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के कार्यालय का पत्रांक– 343/11–सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में प्रभागीय निदेशक एवं प्रयोक्ता एजेंसी का वांछित प्रमाण–पत्र संलग्न है। (प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–69) पर संलग्न है। |

क्रमशः.........2 पर

| | | |
|---|---|---|
| 5 | प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि के बदले 0.1095 हे0 अवनत वनभूमि एवं प्रभावित 0.01245 हे0 संरक्षित वनभूमि के दुगने अर्थात 0.0249 हे0 अवनत वनभूमि (कुल 0.1344 हे0) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न किया गया है जोकि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष समतुल्य गैर वनभूमि पर एवं संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित अलग-अलग विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें तथा कुल धनराशि ऑनलाइन भाग-2 में फीड करें। | प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि 0.1095 हे0 के बदले समतुल्य गैर वनभूमि (निजामपट्टी ग्रामसमाज) एवं संरक्षित वनभूमि 0.01245 हे0 के दुगुने 0.0249 हे0- (सिंघनी वनब्लाक) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राकलन संलग्न है व ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है। (प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-30-37) पर संलग्न है। |
| 6 | क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का Geo Rferenced Digtal Map संलग्न किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली समतुल्य गैर वनभूमि एवं संरक्षित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि का Geo Rferenced Digtal Map संलग्न कर तदानुसार ऑनलाइन भाग-2 फीड करें। | क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित आरक्षित वनभूमि के बदले समतुल्य गैर वनभूमि (निजामपट्टी ग्राम समाज) व संरक्षित वनभूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (सिंघनी वनब्लाक) का Geo Rferenced Digtal Map संलग्न हैं तथा ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया हैं। (प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-39 व 41) पर संलग्न है। |
| 7 | क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का SoI Toposheet संलग्न किया गया हैं, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली समतुल्य गैर वनभूमि एवं संरक्षित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि का SoI Toposheet संलग्न कर तदानुसार ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें। | क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित आरक्षित वनभूमि के बदले समतुल्य गैर वनभूमि (निजामपट्टी ग्रामसमाज) एवं संरक्षित वनभूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (वनब्लाक) का SoI Toposheet संलग्न कर दिया गया है तथा ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया हैं। (प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-40 व 42) पर संलग्न है। |
| 8 | प्रस्ताव में उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न है, किन्तु अपूर्ण है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली समतुल्य गैर वनभूमि एवं संरक्षित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न कर तदानुसार ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें। | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली समतुल्य गैर वनभूमि (निजामपट्टी ग्राम समाज) एवं संरक्षित वनभूमि (सिंघनी वनब्लाक) का उप्युक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया गया है व ऑनलाइन भान-2 में अपलोड कर दिया गा है। (प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-43) पर संलग्न है। |
| 9 | प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की गणना संलग्न हैं। किन्तु भारत सरकार की एन0पी0वी0 की गाइडलाइन की गाइड लाइन दिनांक 05.02.2009 के अनुसार नहीं है। भारत सरकार की गाइडलाइन में 1 हे0 से कम वनभूमि प्रभावित होने एवं 4" Diameter की पेयजल पाइप बिछाये जाने की स्थित में एन0पी0वी0 की छूट हैं। अतः यह स्पष्ट करें कि प्रकरण में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कितनी Diameter की पाइप लाइन बिछानी है। प्रकरण में एन0पी0वी0 की देयता की स्थिति में एन0पी0वी0 की गणना हरियाली घनत्व इको क्लास के अनुसार संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें। | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 5" Diameter की पाइप लाइन बिछायी जानी है। जिसका प्रमाण-पत्र संलग्न हैं। अतः एन0पी0वी0 की गणना हरियाली घनत्व इको क्लास के अनुसार संलग्न हैं तथा ऑनलाइन भान-2 में अपलोड कर दिया गया है। (प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-50 व 51) पर संलग्न है। |



क्रमशः............3 पर

| | | |
|---|---|---|
| 10 | प्रस्ताव में रेलवे विभाग की एन0ओ0सी0 उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है, जोकि स्वीकार्य नहीं है। अतः रेलवे विभाग की एन0ओ0सी0 संलग्न करें। | रेलवे विभाग की एन0ओ0सी0 संलग्न कर दी गयी है। (प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–71) पर संलग्न है। |
| 11 | वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र पर जिलाधिकारी की मोहर नहीं लगी है। अतः जिलाधिकारी की मोहर युक्त प्रमाण–पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान अपलोड करें। | जिलाधिकारी की मोहर युक्त FRA प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है व ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड कर दिया गा है। (प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–44) पर संलग्न है। |
| 12 | ऑनलाइन भाग–1 व हार्डकापी भाग–1 में परियोजना की लागत भिन्न–भिन्न अंकित है। अतः एक समान सहित परियोजना की लागत अंकित करें। | ऑनलाइन भाग–1 व हार्डकापी भाग–1 में परियोजना की लागत प्रस्तावक विभाग द्वारा एक समान फीड कर दिया गया हैं। |
| 13 | ऑनलाइन भाग–2, हार्डकापी भाग–2 एवं एन0पी0वी0 की गणना में हरियाली घनत्व भिन्न–भिन्न अंकित है। अतः एक समान सही हरियाली घनत्व अंकित करें। | ऑनलाइन भाग–2, हार्डकापी भाग–2 एवं एन0पी0वी0 की गणना में हरियाली घनत्व एक समान फीड कर दिया गया हैं। |
| 14 | ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक 6 व 7 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें। | ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक 6 व 7 में संशोधित डाटा फीड कर दिया गया है। |
| 15 | प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि के साथ समतुल्य गैर वनभूमि एवं दुगने अवनत वनभूमि के के0एम0एल0 फाइल की सीडी प्रस्ताव में संलग्न करें। | प्रस्तावित वनभूमि के सापेक्ष समतुल्य गैर वनभूमि एवं दुगुने अवनत वनभूमि के के0एम0एल0 फाइल की सीडी संलग्न कर दी गयी हैं। |
| 16 | उपरोक्त कमियों को दूर कर त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन भाग–2 से डिलिट कर संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें। | संशोधित प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न है तथा ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है। |

(आनन्देश्वर प्रसाद)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सुलतानपुर।

पत्रांकः– / उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र सं0– 2214/ 11सी– FP/ UP/ Others/42648/2019 दिनांक 17.06.2020 के क्रम में।
2. वरिष्ठ प्रबन्धक, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, गोरखपुर मण्डलीय कार्यालय, गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(आनन्देश्वर प्रसाद)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सुलतानपुर।